आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
IDBI BANK LIMITED

सीआईएन/CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई – 400 005.

फोन–(022) 66552779 / 66194058 , ईमेल – **idbiequity@idbi.co.in**, वेबसाइट–**www.idbi.com**

Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

Phone-(022) 66552779/66194058, e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbi.com

डाक मतपत्र फॉर्म
POSTAL BALLOT FORM

Sr. No.:

1. एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम एवं पता
   Name & Address of Sole / First Shareholder

2. संयुक्त शेयरधारक(कों), यदि कोई हों, का/के नाम
   Name(s) of Joint Shareholder(s), if any

3. पंजीकृत फोलियो सं./ डीपी आईडी -ग्राहक आईडी सं.
   Registered Folio No./DP ID-Client ID No.

4. धारित शेयरों की संख्या
   Number of Shares held

मैं/हम, एतद्वारा बैंक के 21 अगस्त 2017 की डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित विशेष कारोबार हेतु डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जानेवाले विशेष संकल्प के संबंध में नीचे दिए गए उपयुक्त खाने में टिक (✓) चिन्ह लगाकर उक्त संकल्प से मेरी/हमारी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए, मेरे/हमारे मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ/रहे हैं :

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Postal Ballot Notice dated August 21, 2017 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below.

मद सं. Item No.	विवरण Description	सदस्य द्वारा धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held by Shareholder	मैं/हम इस संकल्प से सहमत हूँ/हैं (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (For)	मैं/हम इस संकल्प से असहमत हूँ/हैं (विरोध में) I/We dissent to the Resolution (Against)
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (1) (सी) के तहत भारत सरकार को 1861 करोड़ रुपये की सकल राशि के इक्विटी शेयर अधिमान्य आबंटन आधार पर प्रस्तावित करने, जारी करने व आबंटित करने का संकल्प Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to offer, issue and allot equity shares aggregating up to ₹ 1861 crore to Govt. of India on Preferential Allotment basis			

स्थान :
Place:

दिनांक :
Date :

(सदस्य के हस्ताक्षर)
(Signature of Shareholder)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान विवरण
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीईएन (ई वोटिंग इवेंट नंबर) EVEN (E Voting Event Number)	प्रयोक्ता आईडी USER ID	पासवर्ड / पिन PASSWORD / PIN
EVENT_NO	USER_ID	PASSWORD

टिप्पणी : कृपया फॉर्म भरने से पूर्व इसके दूसरे पृष्ठ पर छपे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें. संवीक्षक को डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख बुधवार, 04 अक्तूबर 2017 शाम 5.00 बजे तक है.

NOTE: Kindly read the instructions printed overleaf before filling the form. Last date for receipt of Postal Ballot Forms by Scrutinizer is Wednesday, October 04, 2017 upto 5 p.m.

अनुदेश

INSTRUCTIONS

1. डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्य इस डाक मतपत्र फॉर्म को भरें और हस्ताक्षर करें तथा स्व–पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में रखकर संवीक्षक को भेज दें. डाक खर्च बैंक उठाएगा और उसका भुगतान करेगा. यदि ऐसे मतपत्र वाले लिफाफे व्यक्तिगत रूप में जमा किए जाते हैं अथवा सदस्यों के खर्च पर कूरियर से भेजे जाते हैं तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे.

   A Shareholder desiring to exercise his/her vote by Postal Ballot should complete this Postal Ballot form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed postage pre-paid envelope. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the shareholders, will also be accepted.

2. विकल्प के रूप में कोई सदस्य डाक मत पत्र सूचना में ई वोटिंग के लिए जारी निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान कर सकता है.

   Alternatively, a Member may vote through electronic mode as per the instructions for e-voting provided in the Postal Ballot Notice.

3. पता लिखे लिफाफे पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए संवीक्षक का नाम और डाक मतपत्र भेजने का पता अंकित है.

   The self-addressed envelope bears the name of the Scrutinizer appointed by the Board of Directors of the Bank and the address at which the Postal Ballot Form is to be sent.

4. डाक मतपत्र फॉर्म सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए. संयुक्त शेयरधारिता के मामले में, यह फॉर्म प्रथम नामित सदस्य द्वारा (बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप) हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए और यदि वे अनुपस्थित हों तो अगले नामित सदस्य(स्यों) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए. बिना हस्ताक्षर वाले डाक मतपत्र फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

   The Postal Ballot form should be completed and signed by the Shareholders. In the case of joint share holding, this form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank) by the first named shareholder and in his absence, by the next named shareholder(s). Unsigned Postal Ballot forms will be rejected.

5. जहां डाक मतपत्र फॉर्म किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हैं वहां डाक मतपत्र फॉर्म के साथ वोट करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए. सदस्य इस उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त अटर्नी द्वारा भी फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. ऐसे मामले में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए.

   Where the Postal Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Postal Ballot should accompany the Postal Ballot Form. A member may sign the Form through an Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Postal Ballot Form.

6. डाक मत पत्र द्वारा मतदान के अधिकार का उपयोग प्रोक्सी द्वारा नहीं किया जा सकेगा

   The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.

7. विधिवत भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 04 अक्तूबर 2017 की शाम 5.00 बजे तक संवीक्षक के पास पहुंच जाने चाहिए. इस समय और तारीख के बाद प्राप्त डाक मतपत्र फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि सदस्य से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.

   Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on October 04, 2017. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Shareholder has not been received.

8. यदि आवश्यक हो तो सदस्य डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं. तथापि, पूर्ण रूप से भरा हुआ डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म ऊपर मद सं. 7 में निर्दिष्ट समय और तारीख तक संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए.

   A shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at Item No.7 above.

9. मताधिकार की गणना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अधीन शुक्रवार 25 अगस्त 2017 को सदस्य के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन हेतु कट–ऑफ तारीख के रूप में तय की गई है.

   Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Shareholder on August 25, 2017, which is the cut-off date fixed for this purpose, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

10. सदस्यों से अनुरोध है कि स्व–पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ अन्य कोई कागजात न भेजें क्योंकि इस तरह के सभी लिफाफे संवीक्षक के पास भेज दिए जाएंगे और ऐसे लिफाफे में रखा गया कोई अन्य कागजात संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा.

    Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer.

11. प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही डाक मतपत्र फॉर्म होगा चाहे संयुक्त शेयरधारकों की संख्या कितनी भी हो.

    There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Shareholder(s).

12. सदस्य को सभी वोटों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी वोट एक की तरीके से देने की आवश्यकता है.

    A Shareholder need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.

13. डाक मतपत्र फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

    The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.

14. अपूर्ण, अहस्ताक्षरित या अशुद्ध डाक मतपत्र फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

    Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected.

15. यदि संकल्प बहुमत से अनुमोदित हुआ, तो इसे 04 अक्तूबर 2017 को पारित हुआ समझा जाएगा, जोकि पूर्णतः भरे हुए डाक मत पत्र प्राप्त करने या ई–वोटिंग की अंतिम तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है.

    The Resolution, if approved by requisite majority, shall be deemed to have been passed on October 04, 2017, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.

16. डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 06 अक्तूबर 2017 या उससे पहले प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही इसे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करने के अलावा आर एवं टी एजेंट कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

    The result of Postal Ballot shall be declared by the MD & CEO on or before October 06, 2017 and displayed on the Bank's website www.idbi.com and website of R&T Agent https://evoting.karvy.com besides being communicated to the Stock Exchanges.